



श्री महात्मा कृष्ण नानकराव न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर, मोप्र०
द्वारा आज दि 16/5/16 को
प्रस्तुत

प्रकरण क्रमांक

1/2016 पुनरीक्षण

निम्नांकित
तिथि 16/5/16

बलक ओफ कोटि
गवर्नर ऑफ भारत राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

16/5/16

1. श्यामलालसिंह
2. रामनरेशसिंह पुत्रगण श्री छोटेलालसिंह गोड़
3. रामधारीसिंह
4. जम्मासिंह पुत्रगण श्री शिवधारीसिंह
5. रामलालसिंह पुत्र श्री छत्रगोपालसिंह गोड़
6. रघुराजसिंह पुत्र श्री बृजभानसिंह गोड़
7. पप्पूसिंह पुत्र श्री रघुराजसिंह गोड़
8. बृजभानसिंह पुत्र श्री मुझसिंह गोड़
9. राजभानसिंह पुत्र श्री मुझसिंह गोड़
10. लल्लूसिंह पुत्र श्री मुझसिंह गोड़
11. बलिमानसिंह पुत्र श्री हीरामणिसिंह गोड़
12. लोलेसिंह पुत्र श्री शिवधारीसिंह गोड़
- क्रमांक 1 लगायत 12 निवासीगण-
ग्राम गोड़हार (भामगह पड़रहिया) थाना
मऊगंज तहसील हनुमना जिला रीवा
मोप्र०।
13. लालजीसिंह पुत्र श्री शिवमूरतसिंह गोड़
निवासी- ग्राम कन्हैया तहसील
मऊगंज, जिला रीवा, मोप्र०
14. गुलाबसिंह पुत्र श्री रामलालसिंह गोड़

इ
र
गोड़
सीगण-
हनुमना
सिंह गोड़
तीलालसिंह
मोतीलालसिंह
र्जुनसिंह गोड़
सिंह गोड़
तुलारे यादव
रासिंह गोड़

16/5/16

15. तेजबहादुरसिंह पुत्र श्री रामलालसिंह गोड़
16. सुखसेनसिंह पुत्र श्री सहदूलसिंह गोड़
17. प्रेमलालसिंह पुत्र श्री शिवमंगलसिंह गोड़
18. जगन्नाथसिंह पुत्र श्री तेजभानसिंह गोड़
19. रघुसर्झसिंह पुत्र श्री प्रेमलालसिंह गोड़ समस्त निवासीगण- ग्राम अदयपुर तहसील चुरहट, जिला सीधी, म0प्र0
20. बबलूसिंह पुत्र श्री मेवालालसिंह गोड़
21. गुलाबसिंह पुत्र श्री अमरजीतसिंह गोड़
22. शंकरसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह गोड़
23. भोलेसिंह पुत्र श्री अमरजीतसिंह गोड़
24. वंशराजसिंह पुत्र श्री अमरजीतसिंह गोड़ क्रमांक 13 लगायत 24 निवासीगण- ग्राम कोइडार (सलैहा) तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 ।
25. मोतीलालसिंह पुत्र श्री सुमंगलसिंह गोड़
26. राजभानसिंह पुत्र श्री मोतीलालसिंह गोड़
27. चन्द्रभानसिंह पुत्र श्री मोतीलालसिंह गोड़
28. केमलभानसिंह पुत्र श्री अर्जुनसिंह गोड़
29. गुड्हसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह गोड़
30. रामप्रसाद यादव पुत्र श्री दुलारे यादव
31. राजधरसिंह पुत्र श्री हीरासिंह गोड़

32. विजय बहादुरसिंह पुत्र श्री खेलावनसिंह
गोइ

33. बुद्धसेनसिंह पुत्र श्री साहदूलसिंह गोइ
कमांक 25 लगायत 33 निवासीगण-
गाम अदयपुर तहसील चुरहट जिला
सीधी, म0प्र0 --आवेदकगण

बनाम

1. उर्मिलादेवी पुत्री श्री कालिमनसिंह
2. संजय पुत्र श्री बंशहबहादुरसिंह
3. रज्जू पुत्र श्री बंशहबहादुरसिंह
4. मोनू पुत्र श्री बंशहबहादुरसिंह
5. कुसुमकली पुत्री श्री कालिमनसिंह
6. नीलमदेवी पुत्री श्री कालिमनसिंह
7. सरस्वतीदेवी पुत्री श्री कालिमनसिंह
8. अरुणासिंह पुत्र श्रीअनिल कुमार सिंह
9. अमर सिंह पुत्र ख0 श्री अनिल
कुमार सिंह
10. अमित सिंह पुत्र ख0 श्री अनिल
कुमार सिंह
11. अभिशेष सिंह पुत्र ख0 श्री अनिल
कुमार सिंह
12. मुनीन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजबहादुरसिंह
13. इन्द्रदेवसिंह पुत्र ख0 श्री अभयराजसिंह
14. समसेरसिंह पुत्र ख0 श्री अभयराजसिंह
15. संतोषसिंह पुत्र ख0 श्री अभयराजसिंह

16. प्रभादेवी पुत्री स्व० श्री कालिमनसिंह
17. सरोजदेवी पुत्री स्व० श्री अभयराजसिंह
18. शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री बृजेशसिंह
19. जयप्रकाशसिंह पुत्र श्री राजेन्द्रनाथसिंह
20. राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री राजेन्द्रनाथसिंह
21. रविप्रकाश पुत्र श्री राजेन्द्रनाथसिंह
22. निर्मलादेवी पुत्र स्व० श्री अभयराजसिंह
समस्त निवासीगण- ग्राम अदयपुर,
पोस्ट आ० व थाना कमर्जी, तहसील
चुरहट जिला सीधी, म०प्र०

--अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 एवं सहपत्रि धारा 8 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांकी 27/03/2016 पारित द्वारा
न्यायालयः नायब तहसीलदार वृत्त खटखरी तहसील
हुनुमना जिला रीवा, म०प्र० के प्रकरण क्रमांक
22/अ-70/2010-11 व उनवान उर्मिला आदि बनाम
श्यामलाल आदि।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण की प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में
अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष
एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 250 म०प्र० भू-राजस्व

(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुयंत्रि आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक

ठिक्की - १५९८/म ११६/४७

२०१८/०३/०८ / ३५५८८/८८

स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

२५/१११९

आवेदक की ओर से श्री अ. वी. टिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार लूला - ६१२२७३ के प्रकरण क्रमांक २२/३१-७०/१०-११ में पारित आदेश दिनांक २७-३-१६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला २५/९१ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक २२/५/१९ को कलेक्टर जिला २५/९१ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।

सदस्य